प्रेस नोट
दिनांक 10.01.2025, थाना खोडारे,
जनपद गोण्डा।

थाना खोडारे पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी का टैक्टर मय रोटा बेटर बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना खोडारे पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 08/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र मानिकराम निवासी ग्राम कस्बाखास थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को अयोध्या मार्ग लोलपुर पुल के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 अदद सोनालिका टैक्टर मय रोटा वेटर बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.01.2025 को वादी श्री तुलसीराम पुत्र रामदवे निवासी ग्राम कस्बा खास थाना खोडारे जनपद गोण्डा द्वारा थाना खोडारे पुलिस को सूचना दी गई कि दिनांक 06.01.2025 की रात्रि में मेरा टैक्टर सोनालिका गाड़ी न0 UP47V0429 के साथ रोटा वेटर अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे में मु0अ0स0- 08/2025, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी की माल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 10.01.2025 को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा प्रकाश में आये आरोपी आरोपी अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र मानिकराम निवासी ग्राम कस्बाखास थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को अयोध्या मार्ग लोलपुर पुल के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 अदद सोनालिका टैक्टर मय रोटा वेटर बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोडारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ की अभियुक्त कई लोगो से रूपये उधार लिया था तथा उधार देने वाले लोग अपने पैसे की माँग कर रहे थे, जिसको चुकाने के लिए अभियुक्त द्वारा चोरी की योजना बनाई तथा दिनाकं 06.01.2025 की रात्रि अपने गाँव के प्रधान के घर के सामने खड़े अपने चचेरे चाचा तुलसीराम का टैक्टर के साथ रोटा वेटर चोरी कर बेचने के फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनिल कुमार पुत्र मानिकराम निवासी ग्राम कस्बाखास थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0- 08/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना खोडारे, जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद सोनालिका टैक्टर मय रोटा वेटर

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विनोद कुमार बर्नवाल
उ0नि0 प्रेमचन्द्र गुप्ता
हे0का0 ऋषि कुमार
हे0का0 अरविन्द कुमार
हे0का0 ज्ञानेन्द्र सिंह
हे0का0 शिवकुमार नायक,
का0 जनार्दन सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 10.01.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में न्यायालय पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के साथ पुलिस लाइन सभागार कक्ष में की गई गोष्ठी, आरोपियों को सजा कराने के लिए पैरवी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देशः-

आज दिनांक 10.01.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनित जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त न्यायालय पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के साथ गोष्ठी की गई। जिसमे सर्वप्रथम थानावार पैरोंकारों एवं सभी कोर्ट मुहर्रिर के कार्यों की समीक्षा जैसे कितने गवाह आए कितनों की साक्ष्य हुई विशेषकर महिला संबंधी अपराधों में साक्षियों की उपस्थिति अब तक हुई गवाही की स्थिति आदि की समीक्षा की गई। सभी पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर से गैगेस्टर, माफिया, महिला संबंधी, पॉक्सो एक्ट के अपराधों एवं विशेषकर जनपद स्तर पर उच्चाधिकरियो द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हेतु चिन्हित किए गए 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत जघन्य अपराधों से संबंधित अभियोगो की न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने उनसे संबंधित साक्षियों की समय से गवाही कराने जिससे समय रहते अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा कराई जा सके, के निर्देश दिए। साथ ही मुकदमों से संबंधित केस डायरी, आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में समय से दाखिल कराने व समय से सम्मन/वारण्ट तामिला कराने आदि के निर्देश दिए गए।

इस दौरान सयुक्त निदेशक अभियोजक, सहायक अभियोजन अधिकारी, प्रभारी मॉँनिटरिंग सेल एंव समस्त थानों के पैरोकार एवं न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 10.01.2025, मानीटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्याभियुक्त आरोपी को हुई आजीवन कारावास व रूपये 22,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

वादी श्री श्यामनरायण दूबे पुत्र सन्तराम निवासी दुर्गाबोनिया थाना को0देहात जनपद गोण्डा द्वारा दिनाकं 04.02.2021 को थाना खरगूपुर पर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री को उसके ससुरालजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करते हुए हत्या कर दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना खरगूपुर पर मु0अ0सं0-37/2021, धारा 498ए, 304बी, 302, 201 120बी भादवि, ¾ डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.04.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी महोदय श्री राजेश कुमार (तृतीय) द्वारा थाना खरगूपुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक सुश्री अनिता साहू, कोर्ट मोहर्रिर का0 शिवपाल सिंह व थाना खरगूपुर के पैरोकार का0 वासूदेव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 10.01.2025 को दोषी अभियुक्त – 01. मुकेश तिवारी को आजीवन कारावास व 22,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. मुकेश तिवारी पुत्र सुरेश उर्फ शान्ति प्रसाद तिवारी निवासी पिपरा बाजार, थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 37/2021, धारा 498ए, 304बी, 302, 201, 120बी भादवि, 3/4डी0पी0 एक्ट थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।